फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्ध्राबैंक) बनाम मैसर्स विकास इन्फ्रास्काई प्रा॰ लि॰

प्रकरण संख्या 133/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
28.02.2024	सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को गौर से सुना गयगा। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी बैंक की ओर से पूर्व में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के समक्ष सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे दिनांक 17.04.2023 को स्वीकार किया गया है। जिसमें माननीय ऋण वसूली अधिकरण ने आदेश दिनांक 17.03.2023 से धारा 14 के आदेश को अपास्त नहीं किया है, अपितु कुल 3 बन्धक सम्पत्तियों में से एक सम्पत्ति को रिलीज करने एवं शेष दो सम्पत्तियों की नीलामी कार्यवाही करने के लिए बैंक को निर्देशित किया है। अतः आदेश दिनांक 17.03.2023 के कम में प्रार्थी बैंक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो । जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर ग्रामीण	